

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-19
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/100709

दिनांक: 05/08/2026

लोक सूचना

श्री MS MTHREE SIGN PRIVATE LIMITED JARIYE AUTH SIGNATORY MUKESH MEHTA पुत्र श्री MAHAVEER CHAND MEHTA जाति OBC निवासी 54-55, PUSHANAG, UDAINAGAR B, OPPOSITE METRO PILLAR 7, JAIPUR, RAJASTHAN 302020

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	झरना, मौजमाबाद (जयपुर)	1.) M3 SIGN PRIVATE LIMITED हिस्सा पूर्ण जाति (NA) REG. OFFICE G1 103 MALVIYA NAGAR MALVIYA NAGAR INDUSTRIAL JAIPUR खातेदार	51	0.3	0.3
2.	झरना, मौजमाबाद (जयपुर)	1.) M3 SIGN PRIVATE LIMITED हिस्सा पूर्ण जाति (NA) REG. OFFICE G1 103 MALVIYA NAGAR MALVIYA NAGAR INDUSTRIAL JAIPUR खातेदार	52	0.04	0.04
3.	झरना, मौजमाबाद (जयपुर)	1.) M3 SIGN PRIVATE LIMITED हिस्सा पूर्ण जाति (NA) REG. OFFICE G1 103 MALVIYA NAGAR MALVIYA NAGAR INDUSTRIAL JAIPUR खातेदार	58	0.19	0.19
4.	झरना, मौजमाबाद (जयपुर)	1.) M3 SIGN PRIVATE LIMITED	59	0.08	0.08

		हिस्सा पूर्ण जाति (NA) REG. OFFICE G1 103 MALVIYA NAGAR MALVIYA NAGAR INDUSTRIAL JAIPUR खातेदार			
5.	झरना, मौजमाबाद (जयपुर)	1.) M3 SIGN PRIVATE LIMITED हिस्सा पूर्ण जाति (NA) REG. OFFICE G1 103 MALVIYA NAGAR MALVIYA NAGAR INDUSTRIAL JAIPUR खातेदार	60	0.06	0.06
6.	झरना, मौजमाबाद (जयपुर)	1.) M3 SIGN PRIVATE LIMITED हिस्सा पूर्ण जाति (NA) REG. OFFICE G1 103 MALVIYA NAGAR MALVIYA NAGAR INDUSTRIAL JAIPUR खातेदार	62	0.16	0.16
7.	झरना, मौजमाबाद (जयपुर)	1.) M3 SIGN PRIVATE LIMITED हिस्सा पूर्ण जाति (NA) REG. OFFICE G1 103 MALVIYA NAGAR MALVIYA NAGAR INDUSTRIAL JAIPUR खातेदार	2233/38	1.04	1.04
कुल					1.87

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर **"विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।"** Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **05-08-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)

प्राधिकृत अधिकारी जोन-19
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

